बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि–पत्र

सं० सं०–17/कोर्ट–51/2019 **पटना, दिनांक :– / /2025**

विभागीय पत्रांक–864(17) दिनाक–28.10.2021 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या–4920/2018 मे दिनाक–08.05.2018 एव माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर समादेश याचिका संख्या–18203/2009 डॉ0 लक्ष्मी नारायण सिह बनाम राज्य सरकार एव अन्य मे दिनांक–30 08.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में डॉ० लक्ष्मी नारायण सिह हेतु पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना मे दिनाक–29.11.1985 के प्रभाव से सह–प्राध्यापक (शैक्षणिक पद), पैथोलॉजी विभाग, वेतनमान–3700–5000/– मे 01 (एक) छाया पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी है।

2. उक्त विभागीय पत्राक–864(17) दिनाक–28.10.2021 मे अंकित " वेतनमान–3700–5000/– " के स्थान पर संशोधित रूप से " वेतनमान–1575–2300/– " पढा जाय।

3. उक्त विभागीय पत्रांक–864(17) दिनाक–28 10.2021 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– 17/ कोर्ट–51/2019 - 195(17) पटना. दिनांक :– 27/02/2025

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले० एव ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा० लक्ष्मी नारायण सिह, तत्कालीन सहायक क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना। **पत्राचार का पता**–104, सतोषा कॉम्पलेक्स, बंदर बगीचा, फ्रेजर रोड, जिला–पटना, पिन–800001 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02, 03, 07, 10 एव 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।